

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) म प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 36/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) का धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनाथ उपयुक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसों के संबंध में उपयुक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कतव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपयुक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारों के रूप में काय करने के लिए नियुक्त करते हैं

**तालिका**

क्र.	विवरण	सं. क्र.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के विवरण	न्यायनिर्णयन प्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै एल जी इंपेक्ष, 203-204, 2 <sup>रा</sup> तल, पीपी राठोर चेम्बर, जवाहर माग, इंदौर (मध्य प्रदेश),	फ़ा सं. DRI/DZU/23/ Int/16/2014 दिनांक 14.03.2015 (SCN No 16/2015).	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलड कंटेनर डिपो - तुगल्काबाद, नई दिल्ली.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली
2.	श्री नीरज लन्हजरा, 102, D-ब्लॉक, ऑरज सिटी, पैलेस कॉलोनी, इंदौर (मध्य प्रदेश) और	फ़ा. सं. DRI/DZU/23/ Int/16/2014 दिनांक 30.07.2015 (SCN No 41/2015).	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलड कंटेनर डिपो - तुगल्काबाद, नई दिल्ली	(तालिका के क्रम सं. 1 से 2 के लिए).

श्री अनिल गेहरा, 403, C-ब्लॉक, ऑरज काउंटी, इंदौर (मध्य प्रदेश)			
--	--	--	--

[ . . . DRI/HQ-CI/50D/CAA-29/2019-CI]

( श्री )  
f

**प्रतिरूप सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित**

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिणयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निणयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिणयन प्राधिकारी।
3. प्रधान/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-दिल्ली को इस निवेदन के साथ कि वे उनके जोनल यूनिट से संबंधित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियां को समान न्याय निणयनन अधिकारी को नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी निवेदन है कि वे केस फाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस का अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निणयन अधिकारी को भेज दें